


23/12/25

वकील पक्षकारान उफो नही। न तो अधिवक्ता
वादी उफो न वादी स्वयं उफो। अधिवक्ता
वादी को बाल-2 आवाज लगाई जाने के उपरान्त
भी अधिवक्ता वादी उफो नही। अंतिम आवाज
साथ 5:00 बजे लगाई गई लेकिन अधिवक्ता वादी
उफो नही आपे वादी का कद अंतिम एंठरी
अंतिम फंसी मे खारोज किया जाता है। पंजावली
फंसल शुमार एकल नम्वर से कर ले दाखिल
कमल हो



अपरवन्द अधिवक्ता चिडावा
जिला बुन्दुनू (राज)

जिला बुन्दुनू (राज)